24/3/26 पत्रावली पेश हुई। उप० पत्र अन्तर्गत O22 R3 CPC खारिज किया जाता है। दावा वादी एबेट होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली सैशन शुरू बाद नियम के काम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0 18 / 24 तारीख रजू 20.06.24

उनवान

1. हरिहरनाथ तिवाडी पुत्र सुआ उर्फ रूपाति उम्र 80 साल
2. कल्याण प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद उम्र 88 साल

   निवासीयान चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली
3. दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र मुरारी उम्र 92 साल निवासी धुला हाउस बापू बाजार जयपुर जिला जयपुर
4. बसन्ती शर्मा बेवा हरप्रसाद उम्र 69 साल

   निवासीयान चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
5. मधु शर्मा उम्र 52 साल
6. सतीश शर्मा उम्र 51 साल
7. राजीवर शर्मा उम्र 44 साल
8. सुनीता शर्मा उम्र 38 साल
9. प्रीति शर्मा 35 साल
10. माया शर्मा बेवा गोपाल उम्र 72 साल
11. मनोज तिवाडी उम्र 40 साल पुत्र गोपाल
12. सुनील तिवाडी उम्र 35 साल पुत्र गोपाल
13. दीनदयाल शर्मा पुत्र हजारीलाल उम्र 71 साल
14. परमानंद शर्मा पुत्र हजारीलाल उम्र 70 साल

    सभी निवासीयान ग्राम अतेवा तहसील व जिला करौली
15. उषा शर्मा पत्नि शिवचरण उम्र 65 साल
16. बालकृष्ण शर्मा उम्र 38 साल
17. विजय शर्मा उम्र 32 साल
18. सोनू शर्मा उम्र 25 साल

    निवासीयान चरी का हार बहादुरपुर तहसील मंडरायल जिला करौली
19. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा उम्र 78 साल
20. रसिक शिरोमणि शर्मा उम्र 72 साल

    निवासीयान चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
21. अनुसुईया तिवाडी बेवा नगेन्द्र नाथ उम्र 62 साल
22. अमिल तिवाडी उम्र 38 साल
23. अतुल तिवाडी उम्र 32 साल
24. रेणू शर्मा उम्र 40 साल

    निवासी गंगापुरसिटी तहसील व जिला गंगापुरसिटी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

25 उर्मिला शर्मा बेवा उमेश उम्र 62 साल

26 रीना शर्मा उम्र 38 साल

27 ज्योति शर्मा उम्र 35 साल

28 मनीष शर्मा उम्र 32 साल

29 अमित शर्मा उम्र 26 साल

निवासीयान चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

30. दिनेश चंद शर्मा उम्र 57 साल

31. नेमीचंद शर्मा उम्र 52 साल

32. कुंजबिहारी शर्मा उम्र 50 साल

निवासीयान झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

33. उषा शर्मा पत्नि सत्यनारायण पुत्री किरोडी उम्र 58 साल

34. सरोज शर्मा उम्र 60 साल पुत्री किरोडी

35. कमला शर्मा पत्नि स्व0 प्रेम शर्मा उम्र 70 साल

36. टीकम शर्मा उम्र 50 साल

37. अशोक शर्मा उम्र 47 साल

38. रामदुलारी शर्मा बेवा प्रकाश शर्मा उम्र 65 साल

39. गीता शर्मा उम्र 54 साल

40. संतरा शर्मा उम्र 45 साल

41. शिवकुमारी शर्मा उम्र 42 साल

42. विनीता उम्र 38 साल

43. डिम्पल उम्र 35 साल

निवासीयान चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

44. दीनदयाल शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा उम्र 69 साल निवासी प्लांट नंबर 85 संतोष विहार कॉलोनी जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर

45. सुरेश चंद शर्मा पुत्र बाबूलाल उम्र 57 निवासी ए 45 शिवकॉलोनी सांगानेर जयपुर जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. शैलेन्द्र शर्मा
2. धर्मेन्द्र शर्मा
3. धीरज शर्मा

} पुत्रान गिर्राज प्रसाद शर्मा

निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

4. उमा उम्र 60 वर्ष पुत्री गिर्राज प्रसाद
5. मधु उम्र 53 वर्ष पुत्री गिर्राज प्रसाद
6. श्यामसुन्दर उम्र 83 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

7 रमेश चंद उम्र 82 वर्ष

निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

8. विद्या पुत्री द्वारिका पत्नि शिवशंकर आयु 68 साल हाल निवासी गुढ़ाग बाजार करौली तहसील व जिला करौली

9 कृष्णा देवी बेवा गिर्राज प्रसाद उम्र 84 वर्ष निवासी चटीकना करौली

10 शिम्भूदयाल पुत्र निरंजन उम्र 66 वर्ष

11 विष्णु पुत्र निरंजन उम्र 58 वर्ष

निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

12. कमलेश पुत्री निरंजन उम्र 62 वर्ष

13. वासुदेव पुत्र द्वारिका उम्र 60 वर्ष

14. लड्डुगोपाल पुत्र द्वारिका उम्र 54 वर्ष

निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

15. गुटकन पुत्री श्रीपत हरी उम्र 77 वर्ष निवासी लैदोर सब तहसील मासलपुर जिला करौली पुत्रान बदनसिंह (फौत)

16. उषा पुत्री द्वारिका पत्नि कैलाश उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मचानी तहसील व जिला करौली

17. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 आर टी एक्ट व 136 एल आर एक्ट

में

प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी

–::आदेश::– दिनांकः– 24/3/26

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी प्रकरण में वादीगण नंबर 2 कल्याण प्रसाद शर्मा का देहान्त दिनांक 04.08.2024 को हो गया जिनके निम्न विधिक वारिसान है :–

1. रामदुलारी बेवा कल्याण प्रसाद निवासी गंगाजली वालों की हवेली के पीछे चटीकना करौली जिला करौली

2. राजकुमारी पत्नि राधेश्याम पुत्री कल्याण प्रसाद निवासी शुक्ला कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

3. उमा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद पुत्री कल्याण प्रसाद निवासी गंगाजली वालों की हवेली के पीछे चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

4. शिवकुमारी पत्नि अशोक पुत्री कल्याण प्रसाद निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

5. प्रवीण शर्मा पुत्र कल्याण प्रसाद शर्मा निवासी गंगाजली वालों की हवेली की पीछे, चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

इसी प्रकार प्रकरण के वादीगण नंबर 19 लक्ष्मण प्रसाद का देहान्त दिनांक 03.10.2024 को हो गया जिनके विधिक वारिसान निम्न है :-

1. सुशीला देवी बेवा लक्ष्मण प्रसाद निवासी गंगाजली वालों की हवेली चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
2. शारदा देवी पत्नि ईश्वर पुत्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी हरदैनिया गली चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
3. अनुसुईया शर्मा पत्नि विजय शर्मा पुत्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी अतेवा तहसील व जिला करौली
4. राजेन्द्र शर्मा लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
5. अश्विन शर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
6. दिलीप शर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद शर्मा

निवासी गंगाजली वालों की हवेली के पीछे चटीकना करौली तहसील व जिला करौली

उक्त मृतक व्यक्तियों के हम विधिक वारिसान की हैसियत से संपत्ति पर काबिज है। इस कारण राईट टू श्यू हम वारिसान में सरवाईव होता है। हम विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सीधी बहस किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि उनवानी प्रकरण में वादीगण नंबर 2 कल्याण प्रसाद शर्मा का देहान्त दिनांक 04.08.2024 को एवं प्रकरण के वादीगण नंबर 19 लक्ष्मण प्रसाद का देहान्त दिनांक 03.10.2024 को हो गया। जिनको रिकॉर्ड लिया जाना आवश्यक है। हम विधिक वारिसान की हैसियत से संपत्ति पर काबिज है। प्रकरण में वादीगण के हक हकूक तय होने है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि वादीगण नंबर 2 कल्याण प्रसाद शर्मा का देहान्त दिनांक 04.08.2024 एवं प्रकरण के वादीगण नंबर 19 लक्ष्मण प्रसाद का देहान्त दिनांक 03.10.2024 को होना अंकित किया गया है और प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.01.2026 को करीब 1 साल 3 माह बाद प्रस्तुत किया गया है जबकि कानून के अनुसार 90 दिवस के अंदर प्रार्थना–पत्र मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। अन्यथा दावा वादी स्वतः ही एबेट हो जाता है और प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीयान द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का एवं कोई शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए दावा हाजा में वादी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई उचित कारण प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वादीगण प्रार्थीयान दिनांक 05.01.2026 ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी म्याद बाहर होने से दावा वादी नंबर 2 व 19 का एबेट हो जाने से खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज०)

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण नंबर 2 कल्याण प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 04.08.2024 एवं वादीगण नंबर 19 लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु दिनांक 03.10.2024 को होना प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान द्वारा स्वीकृत है। प्रार्थीयान द्वारा अपने आवेदन ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी के समर्थन में देरी को कंडोन करने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीयान दिनांक 04.08.2024 व 03.10.2024 से दिनांक 05.01.2026 के बीच की अवधि करीब 1 साल 3 माह का की देरी से पेश करने प्रार्थना–पत्र में कोई उचित कारण दर्ज नहीं किया है। इस प्रकार दावा वादी स्वतः ही ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी म्याद बहार होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं दावा वादी स्वतः एबेट हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी खारिज किया जाता है। दावा वादी एबेट होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

करौली